UPSI010017542026

न्यायालय–अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या–3, जनपद सीतापुर

अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र सं०–137/2026

सी०आई०एस० संख्या–763/2026

1– विशाल अवस्थी उम्र 28 वर्ष पुत्र रामप्रसाद अवस्थी निवासी ग्राम उदयमलपुर धोंधी थाना तालगांव जिला सीतापुर।,

...........अभियुक्त

बनाम

उ०प्र० सरकार **...........अभियोजक**

मु०अ०सं०–71/2026
धारा– 351(2)बी०एन०एस० व 67 सूचना प्रोद्यौगिक (संशोधन) अधिनियम 2008
थाना–रामकोट, जिला–सीतापुर।

दिनांक–28.04.2026

निस्तारण अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र

प्रार्थी/अभियुक्त विशाल अवस्थी की ओर से मु०अ०सं०–71/2026, धारा–351(2) बी०एन०एस० व 67 सूचना प्रोद्यौगिक (संशोधन) अधिनियम 2008, थाना–रामकोट, जिला–सीतापुर के मामले में यह अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया है।

जमानत प्रार्थना–पत्र के समर्थन में प्रार्थी/अभियुक्त विशाल अवस्थी द्वारा शपथ–पत्र दाखिल किया गया है, जिसके अनुसार अभियुक्त का यह प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र है, इसके अलावा अन्य कोई जमानत प्रार्थना–पत्र न तो इस न्यायालय के समक्ष और न ही किसी अन्य न्यायालय में दिया गया है और न ही विचाराधीन है और न ही निरस्त हुआ है।

अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि वादिनी द्वारा एक प्रार्थना पत्र संबंधित थाने पर इस आशय का दिया गया है कि प्रार्थिनी सुहानी पुत्री देवीदयाल ग्राम मुबारकपुर कोतवाली मैगलगंज जिला खीरी की निवासिनी है। मैं दो साल पहले अपनी मौसी नीलम पत्नी दिलीप, निवासी ग्राम पथरी थाना रामकोट जन्म दिन मानने के लिए गयी हुई थी, मेरी मौसी के ही घर पर विशाल पुत्र राम प्रसाद अवस्थी निवासी देमलपुर, कोतवाली सीतापुर सदर आया हुआ था, जिसका मोबाइल नम्बर 92050XXXXX है। जब मेरी मौसी बाथरुम के लिए बाहर चली गयी तभी विपक्षी विशाल ने प्रार्थिनी की जबरन मोबाइल से फोटो खींच ली उसका आपतिजनक विडियो बना लिया उसके बाद प्रार्थिनी को मानसिक रुप से प्रताड़ित करने लगा विशाल की वजह से प्रार्थिनी ने विद्यालय जाना छोड़ दिया है। विशाल ने धमकी दी विद्यालय जाने समय रास्ते से उठवा लूंगा। प्रार्थिनी लाज शर्म की वजह से थाने में सूचना नहीं दी। अब मुझे विवश होकर आना पड़ा है। प्रार्थिनी का जन्मवर्ष 05.07.2008 है। प्रार्थिनी को विशाल ने जान से मारने की धमकी दी है। जब मेरे पिता जी मेरी शादी देखने के लिये कहीं जाते हैं तभी विपक्षी आपत्तिजनक वीडियो व फोटो भेज देता है। वो फेसबुक और इन्सटाग्राम के स्टेट्स पर वही आपत्तिजनक फोटो लगा देता है। वादिनी के उक्त प्रार्थना–पत्र के आधार पर थाना रामकोट पर अभियुक्त के विरूद्ध धारा

351(2) बी०एन०एस० व 67 सूचना प्रोद्यौगिक (संशोधन) अधिनियम 2008 में अभियोग पंजीकृत किया गया।

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अग्रिम जमानत के सम्बन्ध में यह तर्क दिया गया है कि उपरोक्त अपराध प्रार्थी के विरूद्ध झूठा पंजीकृत कराया गया है। प्रार्थी पूरी तरह से निर्दोष है। उपरोक्त अपराध मुकदमा वादी द्वारा जो भी तथ्य प्रथम सूचना रिपोर्ट में लिखाये गये है। वह असत्य व झूठे है। उपरोक्त अपराध में घटना का समय व तिथि नहीं दिखायी गयी है। मुकदमा वादी की मौसी के यहां किस तिथि को और किस व्यक्ति का जन्मदिन था उल्लेख नहीं किया गया है तथा प्रार्थी को जन्म दिवस पर किसके द्वारा बुलाया गया है। इस बात का भी उल्लेख नही किया गया है। इस तरह दर्शायी गयी घटना काल्पनिक है और मात्र प्रार्थी को परेशान करने के लिये तथा प्रार्थी से बेजा धन उगाही के उद्देश्य से प्रथम सूवना रिपोर्ट पंजीकृत करायी गयी है। प्रार्थी एक सम्भ्रान्त परिवार का व्यक्ति है जो आपराधिक जगह से दूर रहता है और जीवन में भविष्य में कुछ अच्छा काम करने के प्रयास में है। परन्तु आसमाजिक तत्व प्रार्थी को आगे बढ़ने से रोकने के लिये अवरोध तैयार करते रहते है। इसी आशय से असमाजिक तत्वों ने मुकदमा वादी को सहारा लेकर झूठा अपराध पंजीकृत करा दिया है जिसकी सूचना पाते ही प्रार्थी न्यायालय श्रीमान जी के समक्ष प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रहा है। प्रार्थी शान्तिप्रिय व्यक्ति है प्रार्थी का कोई अपराधिक इतिहास नहीं है प्रार्थी न्यायालय द्वारा चाही गयी जमानते देने को तैयार है तथा उपरोक्त अपराध का शीघ्र निस्तारण चाहता है। प्रार्थी को प्रथम अग्रिम जमानत दिये जाने पर जमानत का दुरूपयोग नही करेगा और वाद के शीघ्र निस्तारण में पूरा सहयोग करता रहेगा तथा प्रार्थी/अभि० को दौरान विचारण मुकदमा प्रथम अग्रिम जमानत पर छोड़ा जाना न्यायसंगत है। उपरोक्त आधार पर प्रार्थी/अभियुक्त को अग्रिम जमानत पर मुक्त किये जाने की याचना की गयी है।

अभियोजन पक्ष की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध किया गया तथा कथन किया गया कि आवेदक/अभियुक्त द्वारा आपतिजनक विडियो बनाया गया है तथा अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का है। अतः जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाय।

आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फो०) के तर्को को सुना गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्र एवं केस डायरी का अवलोकन किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों के अवलोकन से विदित होता है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार मेरी मौसी के ही घर पर विशाल पुत्र राम प्रसाद अवस्थी निवासी देमलपुर, कोतवाली सीतापुर सदर आया हुआ था, जिसका मोबाइल नम्बर 92050XXXXX है। जब मेरी मौसी बाथरुम के लिए बाहर चली गयी तभी विपक्षी विशाल ने प्रार्थिनी की जबरन मोबाइल से फोटो खींच ली उसका आपतिजनक विडियो बना लिया उसके बाद प्रार्थिनी को मानसिक रुप से प्रताड़ित करने लगा विशाल की वजह से प्रार्थिनी ने विद्यालय जाना छोड़ दिया है। विशाल ने धमकी दी विद्यालय जाने समय रास्ते से उठवा लूंगा। प्रार्थिनी लाज शर्म की वजह से थाने में सूचना नहीं दी। अब मुझे विवश होकर आना पड़ा है। अभियुक्त के ऊपर धारा 351(2)बी०एन०एस० व 67 सूचना प्रोद्यौगिक (संशोधन) अधिनियम 2008 का अभियोग लगाया गया है। पीड़िता का जन्मवर्ष 05.07.2008 है जो घटना के समय नाबालिग थी। प्रस्तुत प्रकरण में विवेचना प्रचलित है तथा प्रस्तुत प्रकरण महिलाओं के खिलाफ अपराध से संबंधित है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है। अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों एवं अपराध की प्रकृति व गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए आवेदक/अभियुक्त को जमानत प्रदान किये जाने हेतु पर्याप्त आधार नहीं पाया

जाता है। अतः आवेदक/अभियुक्त विशाल अवस्थी का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्त विशाल अवस्थी की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 71/2026, धारा–351(2)बी०एन०एस० व 67 सूचना प्रोद्यौगिक (संशोधन) अधिनियम 2008, थाना–रामकोट जिला सीतापुर के प्रकरण में प्रस्तुत प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

दिनाँकः–28.04.2026

(अवनीश कुमार–1)
विशेष न्यायाधीश एन०डी०पी०एस० एक्ट/
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0–3
सीतापुर।
(JO Code No.UP02737)

राज कुमार/–

Awanish Kumar
Digitally signed by Awanish Kumar
Date: 2026.05.01 15:22:54 +05'30'